क्रम-संख्या–187(अ–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 4 नवम्बर, 2024
कार्तिक 13, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग–3

संख्या 845 / 24-पी–3–2024-1294-2020
लखनऊ, दिनांक, 4 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

प0आ0–299

चूँकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना, राज्य सरकार द्वारा ग्राम-चंचलिया पनारी टोला गुरुर परगना-अगोरी, तहसील–ओबरा, जिला सोनभद्र में कुल 72.9230 हेक्टेयर भूमि के लोक प्रयोजन अर्थात जिला सोनभद्र में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के माध्यम से 2x660 मेगावाट ओबरा सी तापीय परियोजना के राख बाँध के निर्माण के लिए अधिसूचना संख्या 1511/24–03–2023–1294–2020, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 द्वारा अर्जन करने के लिए जारी की गई थी;

2–और, चूंकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्रारंभिक अधिसूचना के दिनांक से 12 माह के भीतर जारी नहीं की जा सकी;

3–और, चूंकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के अनुसार, जहां प्रारंभिक अधिसूचना के दिनांक से बारह माह के भीतर धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो ऐसी अधिसूचना विखंडित कर दी गई समझी जाएगी;

4–और, चूंकि जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र ने बारह माह की अवधि बढ़ाने का कारण सहित अनुरोध किया है और राज्य सरकार की राय है कि असावधानीवश विलंब के लिए परिस्थितियां विद्यमान थी;

5–अतएव, अब, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के अंतिम परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के लिए 06 माह की अवधि विस्तारित करती हैं।

आज्ञा से,
नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 845/XXIV-P-3-2024-1294-2020, dated November 4, 2024:

No. 845/XXIV-P-3-2024-1294-2020

Dated Lucknow, November 4, 2024

WHERE the preliminary notification under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), was issued by the State Government for the acquisition of total 72.9230 hectares of land in village Chanchalia Panari Tola Gurur Pargana Agori, Tehsil Obra, District Sonbhadra for public purpose *i.e.* construction of ash dam of 2x660 MW Obra C Thermal Project through Uttar Pradesh State Electricity Generation Corporation Limited in District Sonbhadra *vide* notification no. 1511/24-03-2023-1294-2020, dated September 12, 2023.

2. AND, WHEREAS, declaration under sub-section (1) of the section 19 of the aforesaid Act could not be issued within 12 month from the date of preliminary notification.

3. AND, WHEREAS, as per sub-section (7) of section 19 of the aforesaid Act, where no declaration is made under sub-section (1) of section 19 within twelve months from the date of preliminarily notification, then such notification shall be deemed to have been rescinded;

4. AND, WHEREAS, the District Magistrate Sonbhadra has requested with reason to extend the period of twelve months and the State Government is of the opinon that circumstances existed for the inadvertent delay;

5. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the last proviso to sub-section (7) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Governor is pleased to extend for a period of 06 months for declaration under sub-section (1) of the section 19 aforesaid Act.

By order,

NARENDRA BHOOSHAN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 343 राजपत्र–2024–(854)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 11 सा0 ऊर्जा–2024–(855)–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
343 RPH (Urja Anubhag-3) 2024 Data 7e